अज अदालत भु अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– रामसुख गुर्जर,आर.ए.एस.
आवेदन संख्या 96/2018 (2018/00294)

प्रार्थी :–

1. शिवप्रसाद पुत्र श्री जयनारायण जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी।

बनाम

अप्रार्थी :–

1. राजस्थान सरकार जरीये प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार, कुचामनसिटी।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक पुरी

दिनांक 06/07/2018

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम जिलिया के गत खसरा नं0 126 रकबा 97 बीघा 8 बीस्वा प्रार्थी के पिता जयनारायण व प्रार्थी के चाचा भागीरथ की सहखातेदारी का अवस्थित रहा। द्वितीय भू प्रबन्ध के दौरान उक्त खसरे के नवीन खसरा नं0 938 रकबा 8.10 है0 व खसरा नं0 1066 रकबा 7.67 है0 कायम किये गये।

प्रार्थी के पिता जयनारायण जी का स्वर्गवास होने के उपरान्त खसरा नं0 126 रबका 97 बीघा 8 बीस्वा में प्रार्थी के पिता जयनारायण जी के स्थान पर देवीलाल , जगदीश प्रसाद, शिव प्रसाद, भवानी शंकर, रतनलाल पिता जयनारायण दर्ज किया गया। खतौनी सम्वत 2042 से 2045 तक प्रार्थी का नाम अंकित रहा।

राजस्व कर्मचारियों ने सम्वत 2047 में द्वितीय भू प्रबन्ध के दौरान राजस्व रेकर्ड में गत खसरा नं0 126 जिनके नवीन खसरा सं0 838 रकबा 8.10 है0 व खसरा नं0 1066 रकबा 7.67 है0 कुल रकबा 15.77 है0 में से प्रार्थी का नाम बिना किसी कारण लिपिकीय त्रुटि से हटा दिया।

प्रार्थी का नाम गत खसरा सं0 126 वर्तमान खसरा सं0 838, 1066 में से हटा दिया गया जो मात्र एक लिपिकीय भूल है। प्रार्थी ने राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त की तब प्रार्थी को इस लिपिकीय भूल का ज्ञान हुआ।

प्रार्थी का निवेदन है कि ग्राम जिलिया के गत खसरा सं 126 नवीन खसरा नं0 838 रकबा 8.10 है0 व खसरा नं0 1066 रकबा 7.67 है0 कुल खसरा 2 रकबा 15.77 है0 में प्रार्थी का नाम उनके भाईयों के साथ अंकित किये जाने के आदेश फरमावें एवं एक तहरीर अप्रार्थी को जारी फरमाई जावे कि माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटीस तलब किया गया। दिनांक 25.06.2018 को अनुपस्थित होने पर इकतरफा की गई। वकील प्रार्थी उपस्थित, प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बहस सुनाई, बहस में कथन किया कि ग्राम जिलिया के गत खसरा नं0 126 जिसके नये खसरा नं0 838,

1066 कुल रकबा 15.77 है0 में प्रार्थी का नाम छुट गया है इसलिये प्रार्थी का उसके भाईयों के साथ जोडे जाने का आदेश फरमावें। इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए इसके समर्थन में सह खातेदारों भाईयों रतनलाल, भवानीशंकर व जगदीश प्रसाद के शपथ पत्र शामिल मिसल है। वकील प्रार्थी की बहस का मनन एवं प्रार्थी की प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजात खतौनी सम्वत 2042–45 व 2069–72 एवं खसरा मिलान क्षेत्रफल का अवलोकन करने पर काश्तकार के हितों को मध्यमजर रखते हुये प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर निम्न प्रकार आदेश जारी किये जाते है ।

आदेश

ग्राम जिलिया के खसरा नं0 838, 1066 कुल रकबा 15.77 है0 में खातेदार दामोदर प्रसाद, रमेश चंद, राजकुमार, रामचंद्र पिसरान देवीलाल, रामप्यारी पत्नी देवीलाल, जगदीश प्रसाद, भवानी शंकर, रतनलाल पिसरान जयनारायण ब्राह्मण के स्थान पर खातेदार दामोदर प्रसाद, रमेश चंद, राजकुमार, रामचंद्र पिसरान देवीलाल, रामप्यारी पत्नी देवीलाल, जगदीश प्रसाद, शिवप्रसाद, भवानी शंकर, रतनलाल पिसरान जयनारायण जाति ब्राह्मण दुरूस्त किया जाता है। राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 06/07/2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसुख गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official